



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168957

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7660/2026**

हसन रजा एवं अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अम्बरीन मसरूर, सदरूल इस्लाम जाफरी, वरिष्ठ
अधिवक्ता

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- 1- आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
- 2- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3- प्रस्तुत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 153 वर्ष 2026, धारा 270, 288, 292 बी.एन.एस. तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5, थाना-मुंडाली, जनपद मेरठ में पंजीकृत प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4- आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उन्हें वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। अभियोजन कथानक के अनुसार, भूपेन्द्र @ भोलू एवं अमित नामक दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। आवेदक का नाम उपरोक्त सह-अभियुक्त भूपेन्द्र @ भोलू के इकबालिया बयान में सामने आया है, जिसने कथित रूप से बताया कि घटनास्थल की संपत्ति/स्थान उसी का है, जिसे उसने आवेदकों को किराये पर दिया था। सह-अभियुक्त भूपेन्द्र @ भोलू के उक्त इकबालिया बयान के अतिरिक्त आवेदकों के विरुद्ध कोई ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों एवं सह-अभियुक्त भूपेन्द्र @ भोलू के मध्य कोई किरायानामा नहीं है। स्वयं को बचाने के उद्देश्य से उक्त सह-अभियुक्त ने अपनी देयता आवेदकों पर डाल दी और गलत एवं अवैध रूप से यह आरोप लगाया कि उसके द्वारा उक्त संपत्ति वर्तमान आवेदकों को किराये पर दी गई थी। वस्तुतः आवेदकों का सह-अभियुक्त भूपेन्द्र @ भोलू के मकान से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उक्त मकान कभी किराये पर नहीं लिया था। एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास की व्याख्या अनुपूरक शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 2 में की गई है। आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया।

6- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियाँ सुनीं तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

7- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचने, जैसे कि देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

8- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

10- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकृत किया जाता है:-

- (i) उपरोक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- **हसन राजा एवं हसीम खान** की गिरफ्तारी की दशा में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाएगा कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करें।
- (ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा विवेचना संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके; तथा
- (iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वे आवेदकों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”